ईआरसीपी से चम्बल, काली सिंध और पार्वती नदी का पानी लालसोट पहुंचेगा : जल संसाधन मंत्री

दौसा/जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर और दशा-दिशा बदलने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के माध्यम से चम्बल, काली सिंध और पार्वती नदी का पानी लालसोट की धरती पर आएगा और जनता एवं खेती की प्यास बुझाएगा। मंत्री रावत बुधवार को यहां लालसोट के पास समेल में करीब 20-20 करोड़ की लागत से निर्मित दो एनिकटों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान की पानी की समस्या की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को जोड़ा गया है। इस योजना का टेंडर होकर काम चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि लालसोट क्षेत्र का मोरेल बांध भी इससे जुड़ा है। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य बांधों को भी जोड़ने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने पर चम्बल, काली सिंध और पार्वती नदी का पानी लालसोट की धरती पर आएगा। व्यर्थ बहकर जाने वाले बरसात के पानी से यहां की जनता की प्यास बुझेगी, खेतों में सिंचाई होगी और उद्योग-धंधे फलीभूत होंगे।

मंत्री रावत ने समेल में करीब 20-20 करोड़ की लागत से निर्मित दो एनिकटों के लोकार्पण किया।

जल संसाधन मंत्री ने 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 'जल है तो कल है'। जल के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी प्रकृति की अमूल्य देन है, जिसे हम पैदा नहीं कर सकते हैं, केवल संरक्षित करके ही उपयोग में ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने समय में लोग बावड़ियों एवं कुओं से ही पानी पीते थे, लेकिन कालान्तर में समय के साथ बावड़ियां, कुएं और तालाब दुर्दशा के शिकार होते गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भागीरथी प्रयास से इन बावड़ियों, तालाबों एवं बांधों की साफ-सफाई और संरक्षण के लिए एक पखवाड़े का वृहद स्तर पर अभियान चालू किया है। उन्होंने आमजन से इस अभियान से जुड़ने का आव्हान करते हुए कहा कि जब अमृत रूपी बरसाती पानी धरती पर गिरता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पानी को संरक्षित करें और बचाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हम सब लोग भी अपने-अपने क्षेत्र में और दूरदराज के गांव-ढाणियों में नदी किनारों और तालाबों की पाल पर जाकर जनजागरण का काम करें।

लालसोट विधायक रामबिलास मीणा ने समारोह को संबोधित करते हुए इन एनिकटों के निर्माण से क्षेत्र को होने वाले फायदों को रेखांकित किया और क्षेत्र की समस्याओं से जल संसाधन मंत्री को अवगत कराया।

उन्होंने समेल एनिकट पर सुरक्षा दीवार बनाने, गंदे पानी को स्वच्छ बनाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने एवं नालावास डेम को स्वीकृत करवाने की मांग की जिस पर जल संसाधन मंत्री ने सभी मांगों पर स्वीकृति के लिए आश्वस्त किया। वंदे गंगा जल सरंक्षण जन अभियान के विधानसभा संयोजक डॉ. शंभु लाल कुईवाला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मांगीलाल मीना ने बताया कि मोरेल नदी पर समेल होदायली में निर्मित एनिकट से सात गांवों एवं ढाणियों तथा ग्राम बाड़ा के पास एनिकट निर्माण से पांच गांवों एवं ढाणियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 19 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित समेल एनिकट से समेल, होदायली, गुजरहेरा, मंडलिया, जगसरा, गुमानपुरा सहित सात गांव एवं आसपास की कई छोटी ढाणियां लाभान्वित होंगी।

- **लालसोट के पास समेल में करीब 20-20 करोड़ की लागत से निर्मित एनिकटों का लोकार्पण समारोह**

इस अवसर पर लालसोट नगर परिषद सभापति पिंकी चतुर्वेदी, जल संसाधन विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर देवी सिंह बेनीवाल, लालसोट उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीना, लालसोट तहसीलदार अमितेश मीना, निर्झरना तहसीलदार सीमा घुणावत, जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभुदयाल शर्मा, जल संसाधान विभाग के रमाशंकर शर्मा, मांगीलाल मीना, जालंधर मीना, संगीता मीना तथा अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विभागीय अधिकारी-कार्मिक एवं आमजन उपस्थित थे।

नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने किया कार्यभार ग्रहण

जयपुर। राजस्थान पुलिस मुखिया के पद पर बुधवार को एसीबी डीजी डॉ. रवि प्रकाश ने कार्यवाहक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसे लेकर उन्हें पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराध नियंत्रण के लिए राजस्थान पुलिस पूरी निष्ठा से कार्य करती रहेगी। उन्होंने राज्य की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश ने कहा कि उनके पास डीजीपी का चार्ज लिया है और उनका रिटायरमेंट तीस जून को होने वाला है। इन उन्नीस दिनों में जो संभव हो सकेगा वो काम करेंगे। राजस्थान पुलिस की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में अच्छी है। यह स्थिति कायम रहे यही उनका प्रयास रहेगा। राजस्थान पुलिस के हर अधिकारी और कार्मिकों को अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास के स्लोगन को हमेशा याद रखना चाहिए।

डीजी डॉ. रवि प्रकाश ने कार्यवाहक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

काम के लिए यह जिम्मेदारी देने पर सरकार का आभारी: नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा कहा कि उन्हे कम समय के लिए ही सही यह जिम्मेदार दी। इसके लिए वह सरकार के आभारी है। उनका जन्म दिन 13 जून को है सरकार ने उन्हे जन्मदिन से पहले यह तोहफा दिया। वह अपने साथियों के साथ एक छोटी बैठक लेकर प्रदेशभर की जानकारी लेगे। बहुत की चीजें है,जो डीजीपी को पता होनी चाहिए।

जयपुर पुलिस कमिश्नर श्याम नगर थाने में करेंगे जनसुनवाई

जयपुर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ चौदह जून (शनिवार) को शाम 5 बजे से रात आठ बजे तक पुलिस थाना श्यामनगर में जनसुनवाई करेंगे।

जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर(अपराध) कुंवर राष्ट्रदीप, पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनन्द, पुलिस उपायुक्त पश्चिम अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण ललित किशोर शर्मा,अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक सिंघल,सहायक पुलिस आयुक्त सोडाला, मानसरोवर एवं वैशाली नगर एवं संबंधित थानाधिकारी और थाने के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पुलिस थाना श्याम नगर, सोडाला, महेश नगर, शिप्रा पथ, मानसरोवर, वैशाली नगर, करणी विहार एवं चित्रकूट क्षेत्र के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है।

- **पुलिस थाना श्यामनगर, सोडाला, महेश नगर, शिप्रा पथ, मानसरोवर, वैशाली नगर, करणी विहार एवं चित्रकूट क्षेत्र के परिवादियों की होगी सुनवाई**

गौरतलब है कि इससे पूर्व पुलिस कमिश्नर ने शिप्रापथ , कानोता, करधनी, विद्याधर नगर , शिवदासपुरा , बगरू , चौमू, प्रताप नगर, जयसिंहपुरा खोर जवाहर सर्किल, वैशाली नगर, मुहाना, आमेर महेश नगर, जामडोलीएवं झोटवाडाथाने में जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है।

जुआ खेलते 15 जुआरी गिरफ्तार

जयपुर। गलता गेट थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर उत्तर(डीएसटी)ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेल रहे 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से साऐ 22 हजार रुपये की जुआराशि जब्त की है।

थानाधिकारी दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेल रहे महेश कुमार, बबलू, अनील चौहान,अमन,देवी सिंह,प्रिंस शर्मा, नागिर खान,मोहम्मद शाहिद, पंकज शर्मा, मंजूर हसन,आकील हुसैन, शाहरुख,इमामुद्दीन और मुन्ना को गिरफ्तार कर साढे 22 हजार रुपये की जुआ राशि जब्त की है।

नाम परिवर्तन

I have changed my name from GULSHAN KALIA to GULSHAN KUMAR KALIA. In future all correspondences should be made to me in the name of GULSHAN KUMAR KALIA R/o-Flat No. 302, B-1/544 Madhukunj Apartment, Chitrakoot scheme, Opp. Pratap stadium, Jaipur-302021

नम्बर मिलाइए
9587884433

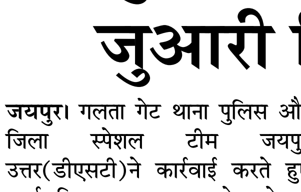

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पानी का टैंकर चोरी करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उनके पा से चोरी किया हुआ पानी टैंकर भी जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी संदीप बसेरा ने बताया कि सात जून को पानी का टैंकर चुराने वाले धन सिंह मीणा और समय सिंह को गिरफ्तार किया है और दोनो ही आरोपित दौसा जिले के रहने वाले है। उनके पास से चुराया गया पानी का टैंकर बरामद किया है।

आनंदपाल गैंग से जुड़े हथियार तस्कर से मिली एके-47

जयपुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चूरू से एक एके-47 और 2 मैग्जीन बरामद किए है। यह हथियार गांव जोड़ी के एक खेत में पॉलीथिन में लपेटकर दबाया गया था। तस्करों से पूछताछ में सामने आया कि एके-47 को कोड वर्ड में रानी कहकर बुलाते थे। इससे पहले धौलपुर में भी कार्रवाई कर बदमाशों के पास से एके-47, मैग्जीन और 34 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे।

फर्जी बैंक मैसेज बन रहे हैं साइबर ठगी का हथियार

जयपुर। साइबर अपराधी लगातार अपनी चालें बदल रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से होने वाली एक नई किस्म की धोखाधड़ी को लेकर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस नए जाल से सावधान रहें और अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखें।

पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी अब एक नया तरीका अपना रहे हैं। वे आपके मोबाइल पर बैंक या यूपीआई पोर्टल का एक संदिग्ध टेक्स्ट एसएमएस भेजते हैं। इस मैसेज में अक्सर यह लिखा होता है कि आपके बैंक या यूपीआई अकाउंट में किसी दूसरे खाते से कुछ राशि जमा हो गई है। मैसेज भेजने के तुरंत बाद ठग आपको एक कॉल कर खुद को उस व्यक्ति के रूप में पेश करता हैं जिसने गलती से पैसे भेज दिए हैं और आपको विश्वास दिलाता हैं कि उन्होंने गलती से आपके खाते में अधिक राशि क्रेडिट कर दी है। दैनिक जीवन की भागदौड़ में कई लोग बिना अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किए ही इस मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं। गलती या जल्दबाजी में ठगों के बताए गए बैंक खाते या यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं।

ट्रक-जीप भिड़ंत में दुल्हन सहित पांच लोगो की मौत

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के रायसर थाना इलाके में बुधवार सुबह भटकाबाँस गांव के पास दौसा मनोहरपुर हाईवे पर ट्रक और जीप (तूफान) की टक्कर में दुल्हन सहित पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में दूल्हे समेत आठ बाराती घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद शव बुरी तरह से गाड़ी में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला जा सका।

पुलिस के अनुसार दोनों गाड़ियां आमने-सामने की जोरदार भिडंत हुई। जीप में शहडोल (मध्यप्रदेश) से लौट रही बारात के लोग सवार थे। घायलों को निम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण लाल तिवाड़ी ने बताया कि मरने वाले एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। बाकी 4 में से 1 महिला (दुल्हन) मध्यप्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी। बाकी 2 युवक सीकर और 1 झुंझुनूं के रहने वाले थे। हादसे में दुल्हन भारती (18) पत्नी विक्रम मीणा निवासी मंडोली शहडोल, मध्य प्रदेश, जीतू (33) पुत्र हरदयाल कुमावत निवासी हासपुरा श्रीमाधोपुर सीकर, सुभाष (28) पुत्र मालीराम मीणा निवासी हासपुरा श्रीमाधोपुर सीकर और

- **दूल्हे सहित आठ लोग घायल, मध्यप्रदेश से लौट रहे बारातियों के शव फंसे गाड़ी में**

रवि कुमार(17) पुत्र छोटूराम मीणा निवासी बुगाला गुढागौड़जी झुंझुनूं की मौत हो गई। वहीं हादसे में दूल्हा विक्रम मीणा (25) पुत्र गोकुल मीणा निवासी उदयपुरवाटी झुंझुनूं, , मोनू (28) पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी उदयपुरवाटी, प्रभुदयाल मीणा (45) पुत्र जगराम मीणा निवासी मंडावर अलवर, नरेश कुमार (35) पुत्र मालीराम मीणा निवासी श्रीमाधोपुर सीकर, रामू (30) पुत्र सुवालाल मीणा निवासी नीमकाथाना, शंकर (35) पुत्र मालीराम मीणा निवासी श्रीमाधोपुर सीकर, छोटेलाल (45) पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा निवासी गुढागौड़जी झुंझुनूं और संदीप पुत्र ताराचंद गंभीर रुप से घायल हो गए। जीप में कुल 14-15 लोग सवार थे। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने निम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

शोकसभा

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूजनीया माताजी

माजीसा श्रीमती प्रभा कुमारी

धर्मपत्नी स्व.श्री राजकुमार बलभद्र चंद जी (चेनैनी रियासत, जम्मू कश्मीर) का आकस्मिक स्वर्गवास गुरूवार, 29/05/2025 को हो गया है।
जिनकी शोकसभा गुरूवार, 12 जून को रखी गई है।

समय: सायं 5:00 से 6:00 बजे तक | स्थान: D-257, शाहपुर हाउस, देवी मार्ग बनीपार्क, जयपुर-302016

शोकाकुल

महाराज सुरेंद्र सिंह शाहपुरा (दामाद), रानी रत्ना कुमार (बेटी)
कुँवर दिगराज सिंह शाहपुरा (दोहिता), कुँवर अधिराज सिंह शाहपुरा (दोहिता)
ठिकाना शाहपुरा, जयपुर, मोबाइल : +91 9982053335

खोया-पाया

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल/ट्रिब्यूनल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 46836 जारी दिनांक 22.03.2016 कहीं खो गया है, जो मिलने पर उक्त पते 37/2, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राज. 302020 पर पहुंचाने का श्रम करें। 9829292772

भूखंड संख्या ए-324, योजना अनुपम विहार का जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें। जुगणेश चौधरी, मो. 7062005500

जवाहर पूरी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्याम कॉलोनी के भूखंड सं-बी-57, जयपुर का सोसाइटी से जारी मूल साईट प्लान कहीं गुम हो गया है सूचित करे MADHURI ROSE (M) 9414043478

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/377

चूंकि प्रार्थी श्री मातादीन योगी, वार्ड नंबर 11, पापरी, सोठाणा, विराट नगर, जयपुर-303102 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास, ग्यारह मूर्ति धाम भृतहरि बाबा मंदिर गोरखनाथ गौशाला ट्रस्ट, वार्ड नंबर 11, पापरी, सोठाणा, विराट नगर, जयपुर-303102 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 06-08-2025

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत किराया अधिकरण,क्रम-1 मुकाम जयपुर महानगर प्रथम
सुनीता देवी बनाम मुन्नी देवी
दावा बाबत इंखलाय
मुकद्दमा नं.... सन्....

बनाम 1/1. ललित कुमार गोधा, 1/2. विजय कुमार गोधा पुत्रान चंपा लाल जी निवासीगण मकान नं. 581, गोधा का चौक, हल्दियों का रास्ता, तीसरा चौराहा, जौहरी बाजार, जयपुर
मुसम्मी... वल्द...कौम... साकिन...परगना...
1/3. अजय कुमार गोधा पुत्र चंपा लाल जी नि.29 विरासत पैराडाईज, रघु विहार, गायत्री नगर, पुलिया के नीचे, दुर्गापुरा, जयपुर, 1/4. प्रमोद कुमार गोधा पुत्र चंपा लाल जी नि.61, गायत्री नगर, बी महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर

चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख... माह... सन् 20... को 1. सुनीता बनाम 2. मुन्नी देवी दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि वादी मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. कायम मुकाम बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1... आपको तारीख 30 माह 6 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 5 सन् 2025 को जारी किया गया।

पीठासीन अधिकारी-किराया अधिकरण सं.1
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1
जयपुर महानगर प्रथम

मोहर अदालत

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जोबनेर जिला जयपुर

मुकदमा नं. 11/2025 व 12/2025 203
कमला बनाम हरेन्द्र 05-06-2025

1. सुधीरा कंवर पुत्री अनुप सिंह पत्नि श्री नामालूम जाति राजपूत निवासी सेक्टर 26, प्रताप एन्क्लेव प्रताप नगर, जगतपुरा जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर राज. अप्रार्थी संख्या 02

वादी ने आपके विरुद्ध रेस्टोरेशन के लिये वाद पंजीयन किया है जिसका मुकदमा नम्बर 11/2025 व 12/2025 है आपका इस न्यायालय में आगामी तारीख 25/06/2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसजात हो सकते है। जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हा ओर जो इस बाद से संबंधित सभी सारवान प्रशनो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रशनो का उत्तर दे सके। आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी तिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे। ओर उस दिन ऐसे सभी दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर अपनी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वो आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारिख को उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थित में एकपक्षिय किया जायेगा। यह वाद तारिख 05 माह 06 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन
नगर निगम हैरिटेज जयपुर
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmw.jmc@gmail.com Ph. No. 0141-2329953
क्रमांक:-F51() Dept/Comm./H.M.A.Z./2024-25/368
आपत्ति सूचना दिनांक:- 11/6/25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री महबूब अली खोखर पुत्र स्व. श्री मुमताज अली निवासी 344/71 पंचमुखी हनुमान के पीछे नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर का नाम हस्तान्तरण जारी करने हेतु आवेदन किया गया है।
उक्त सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ सरकारी/ गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त हवामहल आमेर जोन
नगर निगम हैरिटेज जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 20/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री बस्ती राम यादव पुत्र श्री हंसराम यादव निवासी ग्राम गैलपुर, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल-तिजारा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत ॐ श्री गणेश धार्मार्थ एवं चैरिटेबल ट्रस्ट, पाटन रोड गैलपुर, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल-तिजारा के न्यासियों में हुए परिवर्तन व न्यास विधान में हुए परिवर्तन को दर्ज अभिलेख किये जाने के लिए प्रपत्र -8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 14.07.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना

क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2025-26/3817-818 दिनांक : 30.05.2025

कृष्णा नगर योजना भरतपुर में आवासीय भूखण्ड संख्या 431 श्री हरिचरन लाल पुत्र स्व० श्री सुन्दर लाल जाति वैश्य निवासी-ग्राम रसीलपुर, तह० रूपवास, जिला भरतपुर के नाम 99 वर्षीय लीज होल्ड पर आवासीय भूखण्ड आवंटन/नीलामी में नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा विक्रय किया गया था। जिसका क्षेत्रफल 260.66 वर्गगज है। श्री हरिचरन लाल पुत्र स्व० श्री सुन्दर लाल ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 16.08.2013 के द्वारा श्री लालाराम पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद को विक्रय कर दिया। आवेदक श्री लालाराम पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद जाति वैश्य निवासी- 431, कृष्णा नगर, भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं। उक्त भूखण्ड के नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है।

इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 431, कृष्णा नगर, भरतपुर के नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी
स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना

क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2025-26/4405-406 दिनांक : 10.06.2025

आनंद नगर फेज-2 योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज का व्यावसायिक रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 120 दिनांक 01.07.2021, नगर निगम, भरतपुर द्वारा श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल जाति वैश्य निवासी सी-109 रंजीत नगर, भरतपुर एवं श्री देवकी नंदन कालरा पुत्र श्री जसवंत राम कालरा जाति पंजाबी निवासी-बीनारायण गेट, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्री देवकी नंदन कालरा एवं श्रीमती हेमा कालरा पत्नी श्री देवकी नंदन कालरा द्वारा दिनांक 19.11.2012 को अपने पुत्र श्री आशीष कालरा के हक में पंजीकृत वसीयत कर दिया गया। श्री देवकी नंदन कालरा की दिनांक 23.11.2021 को एवं हेमा कालरा की दिनांक 12.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। श्री आशीष कालरा पुत्र स्व० श्री देवकी नंदन कालरा ने वसीयत के आधार पर एवं श्रीमती मंजू अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25.11.2024 के द्वारा श्री नमन सिंघल पुत्र श्री नरेन्द्र सिंघल को विक्रय कर दिया। आवेदकान् श्री नमन सिंघल पुत्र श्री नरेन्द्र सिंघल जाति वैश्य निवासी - सी-122 रंजीत नगर, तह० व जिला भरतपुर उक्त भूखण्ड संख्या-1, आनंद नगर फेज-2 का रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं।

भूखण्ड संख्या 1, आनंद नगर फेज-2, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 1, आनंद नगर फेज-2, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी
स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

क्रमांक :- 4888-99 दिनांक :- 11.06.2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सवाई माधोपुर के थाना मानटाउन वन कोतवाली सवाई माधोपुर के द्वारा 38 पुलिस एक्ट में जब्त एवं राजसात किये गये 18 वाहन, व एक लोहे का जालीदार तार 30 किलो को स्वामी/मालिकों द्वारा निर्धारित अवधि में मुक्त नहीं कराने के कारण जिस स्थिति में है, दिनांक 27.06.2025 को प्रात: 12.00 बजे गठित समिति द्वारा थाना मानटाउन के परिसर में नीलाम किया जावेगा। अत: इच्छुक खरीददार/बोलीदाता को जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर।

Form No. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at Jaipur, Rajasthan that M/s. Harshwal Consulting LLP a LLP registered under LLP Act. 2. The principal objects of the company are as follows:
a) To Carry on the business of Accounting, Auditing, Reconciliation, MIS Reporting, Competitor Analysis and similar services. **b)** To set up and run electronic data and business process centers, BPO, outsourcing and offshoring of information technology and to carry on business of data/word processors, software consultants, development of management information system, computerization feasibility study, to conduct or sponsor training, programmers, courses, Seminars for imparting or spreading the knowledge and use of computers, computer programmers and publishing books, journals and course materials and to purchase, sell these products both in India and abroad and to carry on the business of Accounting, Auditing, Reconciliation, MIS Reporting Competitor Analysis, BOD Support and Ad-hoc Reporting Finance controls and Analysis and Financial valuation and complete GL management, customized reporting, Procure to pay process, order to receipt process, Payroll and T & E processing, International consolidation, Fixed Asset management, Equity Cap table Maintenance and implementation of IFRS. **c)** To carry on the business to provide Internet Services, E- Commerce facility, telecommunication services, lease lines and lease links and host websites and web pages, ERP applications, accounts, multimedia content creations, create networkings, development and manufacturing of computer hardware, software development, cybercafé development, internet development and to undertake the business of manufacturers either for its own use or for sales, traders, dealers, exporters, importers, developers, agents, maintainers consultants of computer systems. **d)** It may also include any other business conducted in such manner as may be decided by the majority of Director from time to time. **3.** A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 370 sq. ft. area in office No. 601, North Avenue, Road No. 9A, VKI Area, Sikar Road, Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India, 302013. **4.** Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at (Corporate Bhawan, G/6-7, Second Floor, Residency Area, Civil Lines, Jaipur-302001) within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Date : 12.06.2025 **Name(s) of Applicant(s)**
1. RAKESH JETHMAL JANGID, 2. SURENDRA TETARWAL

राजस्थान सरकार
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर सम्भाग
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, अजमेर RPSC के पास, जयपुर रोड, अजमेर-305001

क्रमांकःएफ.()जि.उ.के.अ./MSEFC/Meeting/Minutes/2025/487 दिनांक 22.05.2024
Sh. Arvind Goyal C/o M/s Goyal Constructions,
123, Hari Marg, Civil Lines, Jaipur - 302 006

अंतिम नोटिस
केस नं. RJ/32/S/AJR/00228

M/s S.G.G. Cement Product Pvt. Ltd., F/35A-37, Road No. 2, RIICO Ind. Area, Niwai, Distt. Tonk (Raj.) द्वारा आरसीसी पाईप की आपूर्ति हेतु विलंबित भुगतान राशि रु. 38145.00 तथा देय ब्याज व GST राशि रु. 79552.00 सहित कुल राशि 117697.00 का भुगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता ईकाई को नही किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा MSMED Act-2006 की धारा 18 के अन्तर्गत सुविधा परिषद को रेफेरेंस प्रस्तुत करने पर बैठक दिनांक 27.12.2023 मे आप (क्रेता संस्था) को व आपूर्तिकर्ता संस्था को नोटिस दिनांक 08.12.2023 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाकर, वाद के सम्बन्ध में सुविधा परिषद के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया /
उक्त वाद से सम्बंधित परिषद की समस्त बैठकों मे आप (क्रेता पक्ष) अनुपस्थित रहे तथा ना ही आपने परिषद के पत्रों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया/ सुविधा परिषद की बैठक दिनांक 09.05.2025 मे परिषद द्वारा सर्वसम्मति से क्रेता के क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के व्यय पर क्रेता के लिए सुनवाई के अंतिम अवसर की लोक सूचना प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया/
अतः जरिये अंतिम नोटिस आपको सूचित किया जाता है की आपूर्तिकर्ता ईकाई को विलंबित बकाया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध मे अपना प्रत्युत्तर 15 दिवस मे प्रस्तुत करें अन्यथा MSMED Act-2006 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(डी.के. शर्मा)
अध्यक्ष, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर संभाग

राजस्थान सरकार
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर सम्भाग
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, अजमेर RPSC के पास, जयपुर रोड, अजमेर-305001

क्रमांकःएफ.()जि.उ.के.अ./MSEFC/Meeting/Minutes/2025/487 दिनांक 22.05.2024
Sh. Neeraj Gupta C/o Gupta Builders
D-50, Choumu House, C-Scheme, Jaipur - 302 001

अंतिम नोटिस
केस नं. RJ/32/S/AJR/00230

M/s Kushagra Cement Products, NH-12, Pahari Chowki, Niwai, Distt. Tonk (Raj.) द्वारा Precast Box Culverts की आपूर्ति हेतु विलंबित भुगतान राशि रु. 175850.00 तथा देय ब्याज व GST राशि रु. 289232.00 सहित कुल राशि 465082.00 का भुगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता ईकाई को नही किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा MSMED Act-2006 की धारा 18 के अन्तर्गत सुविधा परिषद को रेफेरेंस प्रस्तुत करने पर बैठक दिनांक 27.12.2023 मे आप (क्रेता संस्था) को व आपूर्तिकर्ता संस्था को नोटिस दिनांक 08.12.2023 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाकर, वाद के सम्बन्ध में सुविधा परिषद के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया/
उक्त वाद से सम्बंधित परिषद की समस्त बैठकों मे आप (क्रेता पक्ष) अनुपस्थित रहे तथा ना ही आपने परिषद के पत्रों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया/ सुविधा परिषद की बैठक दिनांक 09.05.2025 मे परिषद द्वारा सर्वसम्मति से क्रेता के क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के व्यय पर क्रेता के लिए सुनवाई के अंतिम अवसर की लोक सूचना प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया/
अतः जरिये अंतिम नोटिस आपको सूचित किया जाता है की आपूर्तिकर्ता ईकाई को विलंबित बकाया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध मे अपना प्रत्युत्तर 15 दिवस मे प्रस्तुत करें अन्यथा MSMED Act-2006 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(डी.के. शर्मा)
अध्यक्ष, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर संभाग

कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला भरतपुर
फोन नम्बर :- 05644-225671
(E-mail-dao.bha.ayu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : लेखा/निविदा/2025-26/ दिनांक :

खुली निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2025 की व्यवस्था हेतु भरतपुर/डीग जिले में फ्लैक्स वैनर, पम्पलेट, होर्डिंग बोर्ड एवं प्रचार-प्रस्तार सामग्री हेतु निविदा दिनांक 17.06.2025 को दिन में 12.00 बजे तक उक्त सामग्री उपलब्ध करवाने वाले संभावी एवं सद्भावी व्यवहारियों एवं पंजीकृत फर्म धारकों/व्यापारियों से निम्नानुसार मुहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि शुल्क	निविदा प्रपत्र समय	निविदा विक्रय दिनांक एवं व समय	निविदा प्राप्ति की तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि
1.	फ्लौक्स वैनर, पम्पलेट, होर्डिंग बोर्ड एवं प्रचार प्रसार हेतु रिक्शा/ ऑटो लाउडस्पीकर एवं वॉलविनायल	600000 जिला भरतपुर NIB CODE -AYU2526A0111 UBN Code -AYU2526SSOB00112	12000	200	11.06.2025 से 17.06.2025 को दोपहर 11.00 बजे तक	17.06.2025 दोपहर 12.00 बजे तक	17.06.2026 सायं 2.00 बजे
2.	फ्लैक्स वैनर, पम्पलेट, होर्डिंग बोर्ड एवं प्रचार प्रसार हेतु रिक्शा/ ऑटो लाउडस्पीकर एवं वॉलविनायल	500000 जिला डीग NIB CODE -AYU2526A0112 UBN Code -AYU2526SSOB00114	1000	200	11.06.2025 से 17.06.2025 को दोपहर 11.00 बजे तक	17.06.2025 दोपहर 12.00 बजे तक	17.06.2026 सायं 2.00 बजे

शर्तें :-
1. बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जावेगी।
3. विस्तृत शर्तें एवं सूचनाएं (http://sppp.raj.nic.in) पर देखी जा सकती है।

(डॉ. इन्दू शर्मा)
उपनिदेशक